बिहार सरकार

विधि विभाग

(कार्यपालिका नियमावली के नियम-53(1)ग एवं 32(क) XIX के अन्तर्गत)

।। आदेश ।।

आदेश सं0-एस0पी0(नि0)-14/2023-.....312...../जे0, **पटना, दिनांक-**..08.06-23

चूँकि सचिव, विधि विभाग को संबोधित जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना की संचिका संख्या-22/नि0सि0अभि0(रा0)-22-04/2022 में उपलब्ध कागजातों एवं कांड दैनिकी में अंकित साक्ष्यों के परिशीलन के बाद, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि निगरानी थाना कांड सं0-36/2013, दिनांक-01.10.2013 के अप्राथमिकी अभियुक्त श्री शाशिभूषण पाण्डेय, तत्कालीन सहायक अभियंता, जल पथ प्रमंडल, बरही, हजारीबाग (झारखंड) सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध जल पथ प्रमण्डल, बरही (झारखण्ड) में वित्तीय वर्ष 2006-07 में कराये गये कार्यो में वित्तीय अनियमितता में संलिप्त होने का आरोप प्रथम दृष्टया परिलक्षित होता है, जिससे उनके विरूद्ध भा०द०वि० की धारा-409, 420, 467, 468, 471, 477(ए) एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा-13(2)-सह पठित धारा-13(1)(सी)(डी) के अन्तर्गत दं०प्र०सं० की धारा-197 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित अधिनियम, 2018) की धारा-19 के अधीन अभियोजन के लिये प्रथम दृष्टया मामला बनता है,

और चूँकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित अधिनियम-2018) की धारा-19 एवं दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या-2) की धारा-197 के अधीन कोई भी न्यायालय, किसी ऐसे लोक सेवक के विरूद्ध, जो राज्य सरकार की मंजूरी से ही अपने पद से हटाया जा सकता है, किसी ऐसे अपराध का, जो उसके द्वारा अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते हुये या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुये किया गया अभिकथित हो, राज्य सरकार के मंजूरी के बिना संज्ञान नहीं ले सकता है,

और चूँकि श्री शाशिभूषण पाण्डेय, तत्कालीन सहायक अभियंता, जल पथ प्रमंडल, बरही, हजारीबाग (झारखंड) सम्प्रति सेवानिवृत ऐसे लोक सेवक है जो राज्य सरकार की मंजूरी से ही सेवा से हटाये जा सकते है और यह अभिकथित है कि उन्होंने अपराध अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुये किया है,

और अब इसलिये राज्य सरकार एतद् द्वारा भा०द०वि० की धारा-409, 420, 467, 468, 471, 477(ए) एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा-13(2)-सह पठित धारा-13(1)(सी)(डी) के अन्तर्गत दं०प्र०सं० की धारा-197 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित अधिनियम, 2018) की धारा-19 के अधीन अपराधों के लिये उनके विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(रमेश चन्द मालवीय)

सरकार के सचिव, विधि विभाग, बिहार।

ज्ञाप संख्या-एस0पी0(नि0)-14/2023-.....312...../जे0, **पटना, दिनांक-**....08.06-23

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना की संचिका संख्या-22/नि0सि0अभि0(रा0)-22-04/2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

8/6/23

(रमेश चन्द मालवीय)

सरकार के सचिव, विधि विभाग, बिहार।

8/6/23

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–22 / नि0सि0(अभि0)राँ0–22–04 / 2022 / / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–पुलिस अधीक्षक, भ्र० नि० ब्यूरो, हजारीबाग, (झारखंड) को उनके पत्रांक–7015 / गो0 दिनांक 04.07.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / –
(संतोष कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–22 / नि0सि0(अभि0)राँ0–22–04 / 2022 / 994 / पटना, दिनांक– 14-06-2023

प्रतिलिपिः–संयुक्त सचिव (प्रबंधन) / सभी उप सचिव (प्रबंधन) / सभी अवर सचिव (प्रबंधन) / कार्यपालक अभियंता (आई0टी0), आई0टी0 सेन्टर, जल संसाधन विभाग, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5, 6, 7, 8, 9, 12, एवं 22 जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14-6-23
(संतोष कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव

7